राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(3)निर्देश/विधि/पंरा/2020/3618 दिनांक : 02-6-2020

1. ज़िला कलेक्टर,
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद,
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति,
   समस्त (राजस्थान)।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कतिपय प्रकरणों में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला जन–प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति/निकट सम्बन्धी/रिश्तेदार या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कार्यालय का कार्य सम्पादित किये जाने/बैठक आयोजित किये जाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया/हस्तक्षेप किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में आपका ध्यान विभागीय आदेश क0 359 दिनांक 26.2.2010 (प्रति संलग्न है।) की ओर आकर्षित कर लेख है कि पंचायती राज संस्था के निर्वाचित सदस्य/पदाधिकारी द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है तो यह कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थता एवं दुराचरण की श्रेणी में आता है और किसी पंचायती राज संस्था में ऐसा पाये जाने पर सम्बन्धित महिला सदस्य/पदाधिकारी के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–38 के तहत कार्यवाही की जायेगी । यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के प्रकरणों में सहयोग करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध भी सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप पंचायती राज संस्थाओं मे ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दें । यदि कहीं ऐसा पाया जाये तो सम्बन्धित निर्वाचित जन–प्रतिनिधि एवं सहयोग करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर, पंचायती राज विभाग को अवगत करावें ।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः–
1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
4. समस्त अधिकारीगण, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
5. एसीपी, पंचायती राज विभाग को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने बाबत ।

उपायुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव(प्रथम)

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
पंचायती राज विभाग

क्रमांकः–15( )पंरावि/विधि/बैठक/2010/359 जयपुर,दिनांकः 26/2/2010

आदेश

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं में चुने गये महिला जन–प्रतिनिधि स्वयं कार्यालय में नही बैठकर उनकी कुर्सी पर उनके निकट के संबंधी/रिश्तेदार कार्यालय का कार्य सम्पादित करते है, संस्था के कार्य मे उनका पूर्ण हस्तक्षेप रहता है । यह स्थिति कदापि उचित नही है ।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि चुने हुए प्रतिनिधि स्वयं उनकी कुर्सी पर बैठे तथा स्वयं के स्तर पर कार्य सम्पादित करें । स्वयं के द्वारा कार्य संचालन नही कर यदि अपने रिश्तेदार/सम्बन्धी द्वारा कार्य सम्पादित कराया जाता है तो यह कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थता एवं दुराचरण की श्रेणी में आता है । किसीपंचायती राज संस्थाओं में ऐसा व्यवहार पाया जाता है तो संबधित महिला चेयरपरसन /आफिस बेरियर के विरूद्व पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। साथ ही इस व्यवहार में सहयोग करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व भी सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1:–निजी सचिव, मा0मुख्य मंत्री महोदय राज0 जयपुर ।

2:–निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज0 जयपुर ।

3:–निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज0 जयपुर ।

4:–निजी सचिव, मुख्य सचिव, महोदय राज0 जयपुर ।

5:–निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।

6:–संभागीय आयुक्त, समस्त।

7:–जिला कलक्टर, समस्त।

8:–मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

9:–विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समसत।

26/2/10

शासन उप सचिव (विधि)
राज0 जयपुर ।

249

Scanned with CamScanner